2-4-15	पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. चुनाव कार्य में व्यस्त है। ~~दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 24-3-15 को पेश हो। रीडर
24-3-15	वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 4-5-2015 को पेश हो।
4-5-15	पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. अन्य कार्यों में व्यस्त है। ~~दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि० 15-6-15 को पेश हो। रीडर
2-6-15 कैम्प अमरगढ	पत्रावली आज लोक अदालत में मुख्यालय अमरगढ पर पेश हुई। वादी जगदीशसिंह व प्रतिवादी रणजीतसिंह उपस्थित है। दोनों पक्षों की समझाइश की गई। दोनों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि हम दोनों भाई जिस जमीन को जोत रहे हैं उसे जोतते रहेंगे। एक दूसरे की काश्त में दखलंदाजी नहीं करेंगे। एक दूसरे के ट्रेक्टरों को नहीं रोकेंगे, डौल-मेड़ को नहीं छेड़ेंगे तथा पाइपों को नहीं हटायेंगे। वादी अपना दावा वापस लेता है।
रणजीतसिंह जगदीशसिंह	अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार दावा निर्णित किया जाता है। वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। ~~कच~~ राजीनामे अनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(रवि कुमार शर्मा, Adv.) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी
	(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

5

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अमरगढ

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

जगदीश सिंह पि. मु. गजराज सिंह, राजपूत निवासी मच्छीपुरा तह0 गंगापुर सिटी ---वादी

बनाम

1. रणजीत सिह पुत्र छोटू सिंह उर्फ गोकुल सिंह राजपूत नि. मच्छीपुरा तह0 गंगापुर सिटी
2. श्यामा बाई पुत्री छोटू सिंह उर्फ गोकुल सिंह पत्नी अमर सिंह राजपूत निवासी खेडला तहसील लालसोट जिला दौसा ---प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 63/2010

वादी की ओर से वादी जगदीश सिह की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी रणजित सिंह की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 02.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिकी दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी व प्रतिवादी न0 1 जिस जमीन को जोत रहे है। उस जमीन को जोतते रहेगे। दोनो पक्ष एक दूसरे की काश्त मे दखलअंदाजी नही करेगे। एक दूसरे के ट्रेक्टरो को नही रोकेगे, डोल मेड को नही छेडेगे एवं बिछे हुए पाइपो को नही हटायेगे। इसके साथ ही वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 02.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0) — मुद्रा)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

नम्बर अहकाम हुक्म में

...नी तनकी ...न्यायालय ...दीगासिंह ...है। दोनो ...नों ने ...किया है ...को जोत ...की काश्त ...सरे के ...मेड को ...हटायेंगे। ...त राजीनामे ...ता है। ...नुमति दी ...चा डिकी ...शुमार ...तकमील ... यादव)